प्रेस नोट थाना वजीरगंज
दिनाँक 24, जुलाई 2024
थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम निजामपुर में घटित हत्या की घटना का किया खुलासा, 02 अभि0गण को गिरफ्तार किया गया।

मुकदमा का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डा0 बृजेश कुमार सिह के कुशल निर्देशन में एंव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राममोहन सिह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बिसौली सुनील कुमार के नेतृत्व में, प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज अरविन्द कुमार मय टीम द्वारा थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/2024 धारा 103(1)/238/61(2) बीएनएस के सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण कर घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ करू पुत्र रामवीर निवासी ग्राम निजामपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ व एक नफर अभियुक्ता ममता पत्नी स्व0 सतीश कुमार निवासी ग्राम निजामपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ मु0अ0सं0 245/2024 धारा 103(1) बीएनएस को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.07.2024 को प्रातः सूचना मिली कि ग्राम निजामपुर के तालाब मे एक व्यक्ति की लाश मिली है । जिसकी पहचान ग्राम निजामपुर के ही सतीश कुमार यादव पुत्र जयपाल सिह निवासी ग्राम निजामपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ के रूप मे हुयी । मृतक का शव एक लकडी व ईंटो के कट्टो से बँधा था । जिसकी किसी ने हत्या कर शव को बांछकर तालाब मे डाल दिया था । जिसके सम्बन्ध मे थाना वजीरगंज पर मृतक के तहेरे भाई श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रकेश निवासी ग्राम निजामपुर थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 245/24 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था । घटना की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डॉ0 बृजेश कुमार सिंह द्वारा घटना के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज को निर्देश दिये गये थे ।
पूछताछ विवरण- थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/24 धारा 103(1)/238/61(2) बीएनएस की विवेचना के दौरान संदिग्ध व्यक्तियो की सीडीआर रिपोर्ट / मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना मे शामिल तीन अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ करू पुत्र रामवीर निवासी ग्राम निजामपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ व धर्मपाल पुत्र मोर सिह निवासी किशनपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ एक नफर अभियुक्ता श्रीमती ममता पत्नी स्व0 सतीश कुमार निवासी ग्राम निजामपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ का नाम प्रकाश मे आये । जिनमे से आज दिनांक 24.07.2024 को 1 नफर अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ करू पुत्र रामवीर निवासी ग्राम निजामपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ व एक नफर अभियुक्ता श्रीमती ममता पत्नी स्व0 सतीश कुमार निवासी ग्राम निजामपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ को गिरफ्तार किया गया । जिन्होने पूछताछ पर बताया कि मृतक सतीश कुमार पुत्र जयपाल सिह निवासी ग्राम निजामपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ मुरादाबाद मे नौकरी करता था । मृतक के मुरादाबाद रहने के दौरान मृतक की पत्नी श्रीमती ममता के अवैध सम्बन्ध राजेन्द्र उर्फ करू पुत्र रामवीर निवासी ग्राम निजामपुर से हो गये थे । मृतक सतीश कुमार पिछले एक माह से नौकरी छोडकर घर पर रहने लगा । और घर मे लडाई झगडा होने लगा था और मृतक सतीश अपनी पत्नी ममता को काफी प्रताडित करने लगा था । जिस कारण श्रीमती ममता ने राजेन्द्र उर्फ करू से सतीश को रास्ते से हटाने के लिये कहा तब राजेन्द्र उर्फ करू ने अपने दोस्त धर्मपाल पुत्र मोर सिह निवासी ग्राम किशनपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ को एक लाख रूपये का लालच देकर सतीश की हत्या करने की योजना बनायी और दिनांक 05.07.2024 को मृतक की पत्नी श्रीमती ममता ने सतीश को रास्ते से हटाने के लिये कहा और समय करीब 18.30 बजे राजेन्द्र उर्फ करू सतीश को शराब पिलाने के लिये खेत पर ले गया वही पर राजेन्द्र उर्फ करू का दोस्त धर्मपाल पुत्र मोर सिह निवासी किशनपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ आ गया था और तीनो ने मिलकर वहां साथ बैठकर शराब पी और मृतक सतीश कुमार उपरोक्त को अधिक शराब पिलायी। और नशे

मे होने पर राजेन्द्र उर्फ करू व धर्मपाल उपरोक्त ने अगोंछे से गला दबाकर सतीश की हत्या कर दी । तथा मृतक सतीश के शव को लकडी व ईंटो से रस्सी की मदद से बांधकर तालाब मे फेक दिया था । अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ करू की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त अंगोछा को तालाब के दूसरे साईड सडक किनारे झाडियो से बरामद किया गया । तमामी विवेचना से पाया कि मृतक सतीश कुमार उपरोक्त की पत्नी श्रीमती ममता के राजेन्द्र उर्फ करू उपरोक्त से नाजायज सम्बन्ध के चलते सतीश कुमार उपरोक्त की हत्या राजेन्द्र उर्फ करू व धर्मपाल उपरोक्त के द्वारा श्रीमती ममता के कहने पर की गयी थी । अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम
1.राजेन्द्र उर्फ करू पुत्र रामवीर निवासी ग्राम निजामपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ
2. श्रीमती ममता पत्नी स्व0 सतीश कुमार निवासी ग्राम निजामपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ

फरार अभियुक्त का नाम
धर्मपाल पुत्र मोर सिह निवासी किशनपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ करू
1.मु0अ0स0 245/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना वजीरगंज बदायूँ
आपराधिक इतिहास अभियुक्ता ममता
1.मु0अ0स0 245/2024 धारा 103(1)/238/61(2) बीएनएस थाना वजीरगंज बदायूँ
गिरफ्तार करने वाली वजीरगंज/सर्विलांस टीम
1.प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार थाना वजीरगंज
2.उ0नि0 श्री योगराज सिह थाना वजीरगंज
3. नि0 श्री नीरज कुमार प्रभारी सर्विलांस सैल
4.उ0नि0 श्री धर्वेन्द्र सिंह सर्विलांस सैल
5. हे0का0 सचिन कुमार सर्विलांस सैल
6.हे0का0 244 रफीक अहमद थाना वजीरगंज
7.हे0का0 16 कर्णपाल सिह थाना वजीरगंज
8.म0का0 1500 मनजीत चौधरी थाना वजीरगंज

गिरफ्तारी/बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीम

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण/बरामदगी में सम्मिलित टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डॉ0 बृजेश कुमार सिंह द्वारा 10000 रूपये नगद पुरुस्कार से पुरुस्कृत किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
जनपद बदायूँ